

2021/239

प्रपत्र-8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

439  
28/10/21

"जमाय आपके द्वार 2016"

योजना आवाज (11/2017-2021)

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी न/21/91/11 व भू.अ.नि. 91/5/11

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 91/5/11 / नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा  
136 के अनुसरण में ग्राम न/21/91/11 तहसील 91/5/11 व जिला 10/2/11

की जमाबन्दी सम्बत् 2024-22 में खाता संख्या 158 में वर्तमान में दर्ज  
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जात्रावाला	158	नाक 34 6 रु. 1/2	गाराचन्द रज 1/2 रु. 34 6 रु. 1/2 रु. सद्वारा क्रोड 5 रु. 1/2 रु. प्रति 11/10/21

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,

शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक :- 28/10/21

क्रमांक :- 440-41

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार 91/5/11 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री न/21/91/11 न/21/91/11 को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,

शाहपुरा (जयपुर)